

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

ईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

क्र.सं :- 172/2019

दिनांक :- 08.07.2019

अनवान

रतनी पुत्री उदाराम कुम्हार नि. लुहारीकलों तह0 जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री मोती पिता बरदा कुम्हार नि. लुहारीकलों तह0 जहाजपुर

2. श्री होकमाराम पिता हरनाथ मीणा नि. लुहारीकलों तह0 जहाजपुर

अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम लुहारीकलों प0 ह0 लुहारीकलां तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 5090/6 रकबा 5.00 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तारीख में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लुहारीकलों प0 ह0 लुहारीकलां तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 सं0 5090/6 रकबा 5.00 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 600 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,

जहाजपुर (भीलवाडा)